अनवान सरस्वती बनाम सुखविन्द सिंह व
वाद मुकदमा नं. 113/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 113 /2025

अन्तर्गत धारा 49, 88, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

सरस्वती पत्नी श्री बलवन्त राम निवासी चक 4–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
कान्ता जाखड़ पत्नी श्री राजेश्वर, जाति जाट निवासी गांव नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... वादी

ब ना म

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 24–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

– प्रतिवादीगण

3. बलवंत राम पुत्र श्री मनफूल राम जाति जाट
4. मंगतराम पुत्र श्री बलराम जाति कुम्हार
5. मैना देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट
6. राकेश पुत्र श्री अमीचन्द जाति जाट
7. राजाराम पुत्र श्री अमीचन्द जाति जाट
8. सुमित्रा देवी पत्नी श्री रायसिंह जाति जाट
9. सरिता पत्नी श्री विनोद कुमार जाति जाट
10. गुरजंट सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जट सिख
11. डिप्टी सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जट सिख
12. प्रताप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जट सिख
13. मेजर सिंह पुत्र निहाल सिंह
14. लखवीर सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जट सिख

} निवासीगण चक 24 एमएल तह. व जिला श्रीगंगानगर

......प्रोफोर्मा प्रतिवादीगण

(राज.)

उपस्थित–अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी	वादीगण
अधिवक्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता	प्रतिवादी 1, 3 ता 14
पैरोकार राज	प्रति.–2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.07.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रका[illegible]दीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई एवं रजिस्टर्ड पता वही है जो [illegible] (क) के अनुसार वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र दो [illegible] तथा शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। वादिया संख्या 1 के नाम से चक 24 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/60 के मुरब्बा नम्बर 72 में 316/1581 हिस्[illegible]र्थात् 0.632 हैक्टेयर अर्थात्

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2 बीघा 10 बिस्वा नहरी मय खाला तथा वादिया संख्या 2 के नाम से चक 24 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/114 के मुरब्बा नम्बर 72 में 569/1581 हिस्सा अर्थात् 1.138 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इसी चक के खाता संख्या 60/40 के मुरब्बा नम्बर 51 में संयुक्त खाता में अन्य सह– काश्तकारों के साथ 759/8906 हिस्सा अर्थात् 0.759 हैक्टेयर अर्थात् 3 बीघा नहरी मय खाला कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा इस खाता में शेष कृषि भूमि वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष वादीगण व प्रतिवादीगण प्राप्त करना नहीं चाहते हैं व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण मात्र इस खाता में सह खातेदार होने के कारण उन्हें वर्तमान वाद पत्र में प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य काफी वर्ष पूर्व आपसी सहूलियत की दृष्टि से कब्जा काश्त को लेकर मुरब्बा विशेष के किला विशेष का आपसी मौखिक विभाजन उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में किया जाकर उसी विभाजन अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई कृषि भूमि के कब्जा का आदान–प्रदान किया जाकर उक्त भूमि की काश्त की जा रही है, परन्तु विभाजन में प्राप्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो आपसी विभाजन कृषि भूमि के सम्बन्ध में किया गया है, वह निम्नानुसार हैः–

(i) वादिया संख्या 1 के द्वारा अपने स्वामित्व की चक 24 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/60 के मुरब्बा नम्बर 72 में 316/1581 हिस्सा अर्थात् 0.632 हैक्टेयर अर्थात् 2 बीघा 10 बिस्वा व वादिया संख्या 2 के द्वारा अपने स्वामित्व की चक 24 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/114 के मुरब्बा नम्बर 72 में 569/1581 हिस्सा अर्थात् 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 10 बिस्वा कृषि भूमि, इस प्रकार वादीगण संख्या 1 व 2 दोनों द्वारा 3 बीघा नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को मौखिक विभाजन में प्रदान कर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण से प्राप्त कृषि भूमि के बदले अपने स्वामित्व की चक 24– एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/40 के मुरब्बा नम्बर 51 में संयुक्त खाता में अन्य सह–काश्तकारों के साथ 769/8906 हिस्सा अर्थात् 0.759 हैक्टेयर अर्थात् 3 बीघा नहरी मय खाला कृषि भूमि वादीगण को मौखिक विभाजन में प्रदान कर कब्जा काश्त वादीगण को सौंप दिया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त मौखिक विभाजन के द्वारा प्राप्त हुई कृषि भूमि का कब्जा उसी रोज प्राप्त कर लिया गया तथा आज दिनांक तक उसी अनुरूप निर्विवाद रूप से काबिज काश्त हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में हुए आपसी मौखिक विभाजन के अनुसार कृषि भूमि का अंकन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में न होने के कारण वादीगण को लगान, आबयाना, पानी की पर्ची एवं अन्य सरकारी योजनाओं में कठिनाई पैदा होने लग गई है जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया गया कि जो मौखिक विभाजन किया जाकर कब्जा वादीगण को आपसी सहमति से तय हक व हिस्सा अनुसार मुरब्बा विशेष के किला विशेष का सौंप दिया गया है को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकित करवा दिया जाए तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रारम्भ में टाल–मटोल की गई, परन्तु दिनांक 12.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद हेतुक वादीगण को प्रतिवादी ... विरुद्ध वर्तमान वाद प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादाधीन कृषि भूमि में ... हक व हिस्सा जरिये मौखिक समझौता, वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण को प्रदान किया जा चुका है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अब उसी अनुरूप कृषि भूमि ... के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनाकाना कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, जिसे वर्तमान वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है तथा अन्य प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में सह–काश्तकार के रूप में होने के कारण उन्हें वर्तमान वाद पत्र में प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया है, यद्यपि वादीगण प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान वाद पत्र में उल्लेखित वादाधीन कृषि भूमि चक 24–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, इस कारण वर्तमान वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित न्याय शुल्क पर, समयावधि में प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावेः–

(क) यह कि इस अमर की डिक्री घोषणा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक 24 – एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/60 के मुरब्बा नम्बर 51 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह की 769/8906 हिस्सा अर्थात् 0.759 अर्थात् 3 बीघा कृषि भूमि को वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि इस अमर की डिक्री घोषणा बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि कृषि भूमि वाके चक 24–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या 40/60 के मुरब्बा नम्बर 72 में वादिया संख्या 1 की 316/1581 हिस्सा अर्थात् 0.632 हैक्टेयर अर्थात् 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि व चक 24–एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या 80/114 के मुरब्बा नम्बर 72 में वादिया संख्या 2 की 569/1581 हिस्सा अर्थात् 1.138 हैक्टेयर में से 10 बिस्वा अर्थात् आधा बीघा, इस प्रकार वादीगण की कुल 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुताबिक मौखिक विभाजन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने हेतु आदेशित किया जावे।

(ग) यह कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार (1) वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि वाके चक 24 एमएल खाता संख्या 60/40 के मुरबा नमबर 51 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह की 759/8906 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक. अर्थात 3 बीघा कृषि भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज करवाने को सहमत है।

(2) वादीगण के नाम चक 24 एमएल खाता संख्या 40/60 के मुरबा नम्बर 72 वादी संख्या 1 की 316/1581 हिस्सा अर्थात 0.632 हैक्टर अर्थात 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि व चक 24 एमएल के खाता संख्या 80/114 के मुरबा नम्बर 72 में वादीया संख्या 2 की 569/1581 हिस्सा अर्थात 1.138 हैक. में से 10 बिस्वा अर्थात आधा बीघा इस प्रकार वादीगण की कुल बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मौखिक विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाने की सहमति देते है।

यह कि उक्त कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर [illegible] लिया है तथा इसी अनुसार जमाबंदी में उक्त कृषि भूमि अमल दराबद करवाना चाहते हैं। जिसमें [illegible] को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। आपसी राजीनामा [illegible] का आदान प्रदान किया हुआ है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] के मध्य हुए उक्त राजीनामा को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उक्त पत्रावली [illegible] अनुसार वाद पत्र को डिकी किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 3 में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि का प्रफोर्मा पक्षकारो की कृषि भूमि का विवरण दिया गया है जो स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में मौखिक विभाजन किया जाकर विभाजन अनुार कृषि भूमि का कब्जा को अदान प्रदान किए जाने का कथन किया गया है जो स्वीकार है तथा इस चरण की मद संख्या 1 व 2 में कृषि भूमि के कब्जा अनुसार विवरण्सा दिया गया है जो स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 में निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त का विवरण दिया गया है जो स्वीकार है परन्तु 12.06.2025 को वादीगण का मुझ प्रतिवादी से मिलने का कथन स्वीकार नहीं है। वादी पत्र की चरण संख्या 7 का सम्बन्ध न्यायालय से है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसकी मद से क, ख, ग, घ में चाहा गया अनुतोष न्यायालय वादीगण को प्रदान करता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त जवाब को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश पारित किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी विवाद नहीं होने एवं प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 सरस्वती पत्नी बलवन्त राम निवासी चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी संख्या 2 कान्ता जाखड़ पत्नी श्री राजेश्वर निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 60/40 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 80/114 प्रदर्श–2, जमाबंदी चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 40/60 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 60/40(नई जमाबंदी)प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 60/40 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 80/114 प्रदर्श–2, जमाबंदी चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 40/60 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 24 एमएल पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 60/40(नई जमाबंदी)प्रदर्श–4 के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। बशर्त विनिमय में भूमि समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवन्युह्र अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी ... के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन ... है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनवान सरस्वती बनाम सुखविन्द सिंह व
वाद मुकदमा नं. 113/2025

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि वाके चक 24 एमएल खाता संख्या 60/40 के मुरबा नम्बर 51 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह की 759/8906 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक. अर्थात 3 बीघा कृषि भूमि का वादी संख्या 1 को 0.632 हैक. तथा वादी संख्या 2 को 0.127 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है।

(2) वादीगण के नाम चक 24 एमएल खाता संख्या 40/60 के मुरबा नम्बर 72 वादी संख्या 1 की 316/1581 हिस्सा अर्थात 0.632 हैक्टर अर्थात 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि व चक 24 एमएल के खाता संख्या 80/114 के मुरबा नम्बर 72 में वादीया संख्या 2 की 569/1581 हिस्सा अर्थात 1.138 हैक. में से 10 बिस्वा अर्थात आधा बीघा इस प्रकार वादी संख्या 1 व 2 की कुल 3 बीघा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.07.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner